बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संо संо09 / आо–1–04 / 2019 / स्वाо / पटना, दिनांक / सिविल सर्जन, भोजपुर, आरा के पत्रांक 290 दिनांक 21.01.2019 द्वारा प्रतिवेदित है कि डाо उदय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर रोस्टर में ड्यूटी होने के बावजूद अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होते, इनके द्वारा अक्सर अपनी ड्यूटी के समय कोई–न–कोई बिमारी का बहाना बनाया जाता है एव कर्तव्य से अनुपस्थित हो जाते है। डाо कुमार की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 05.01.2019 को अस्पताल में एक महिला मरीज का ससमय ऑपरेशन नहीं हुआ जिसके कारण मृत बच्चा पैदा हुआ एवं मरीज के परिजनों द्वारा अस्पताल में हंगामा किया गया। दिनांक 19.01.19 को भी इनकी अनुपस्थिति के कारण अस्पताल में हंगामे की स्थिति उत्पन्न हुई।

2. विभागीय पत्रांक 297(9) दिनांक 11.02.2019 द्वारा डाо उदय कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

3. अपने स्पष्टीकरण दिनांक 06.03.19 में डाо उदय कुमार ने उल्लेख किया है कि:–

(i) दिनांक 05.01.2019 को अचानक कमर में दर्द हो जाने के कारण ये चलने–फिरने में असमर्थ हो गए थे। उन्होने डाо भरत सिंह, से चिकित्सा कराई, जिनके द्वारा उन्हें 15 दिन बेड रेस्ट का परामर्श दिया गया।

(ii) इसकी सूचना डाо कुमार ने अधीक्षक, सदर अस्पताल को दे दी थी। अधीक्षक एवं सिविल सर्जन, भोजपुर को निबंधित डाक से दिनांक 07.01.2019 को भेज दिया गया।

(iii) सिविल सर्जन, भोजपुर द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर डाо कुमार द्वारा दिनांक 21.01.19 को समर्पित किया इसलिए यह आरोप सही नहीं है कि उनके द्वारा सिविल सर्जन द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया।

(iv) अपने स्पष्टीकरण में डाо कुमार ने रोस्टर ड्यूटी के अलावा अतिरिक्त रोस्टर ड्यूटी के फलस्वरूप प्रतिदिन ड्यूटी लगा दिए जाने का भी उल्लेख किया है।

(v) डाо कुमार के अनुसार वे दिनांक 05.01.19 से अवकाश में रहने के कारण दिनांक 19.01.2019 को ही पुनः सदर अस्पताल, आरा में योगदान किया था, इसलिए दिनांक 19.01.2019 को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप सही नहीं है।

(vi) डाо उदय कुमार के अनुसार सदर अस्पताल, आरा में कुल चार मूर्छक चिकित्सक कार्यरत है उनके द्वारा मूर्छक कार्य से संबंधित ब्यौरा, माहवार (अगस्त 2016 से फरवरी 2019 तक) समर्पित किया है, जिसके अनुसार कुल 148 ओоटीо कार्यो में से 54 में डाо उदय कुमार द्वारा मूर्छक का कार्य किया गया तथा 18 परिवार नियोजन कार्यो में इनके द्वारा सहयोग किया गया।

संपूर्ण मामले की सम्यक समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डाо उदय कुमार, मूर्छक, सदर अस्पताल, आरा को आरोप मुक्त किया जाता है।

हо/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव,

D:\All Letter 2017 SWETA\Notification.docx

ज्ञापांकः 461(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 11/4/2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अपर– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/सिविल आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 उदय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\All Letter 2017 SWETA\Notification.docx